तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1457/2004/टोंक** **जयकिशन व अन्य बनाम धूली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री वी0पी0 सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

—

निर्णय

दिनांकः—10.10.2023

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपील संख्या 76/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11—02—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, निवाई के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 (बी) राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवदेन किया कि विवादित आराजीयात उनकी खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है, प्रार्थीगण से उनको विवादित भूमि का कब्जा दिलाया जावें। तहसीलदार, निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 07—06—2002 द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण को वापिस दिलाने का आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर निगराकार ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 11—02—2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1457/2004/टोंक** **जयकिशन व अन्य बनाम धूली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की दिनांक से 12 साल पूर्व से अधिक समय से प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के पिता/पति नानगराम के पिता श्री नाथू द्वारा विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता को संवत् 2015 में विक्रय कर दस्तावेज उनके हक में लिखकर तहरीर कर दिया। इस कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था एवं मियाद बाहर था किंतु फिर भी अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित कर त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने धारा 183–बी टिनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया जो तहसीलदार, निवाई द्वारा दिनांक 06.04.1994 को निरस्त कर दिया कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें, इस कारण उसका पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर संधारण योग्य नहीं था। अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रकरण अंतर्गत धारा 447, 323 आईपीसी एवं धारा 3/1/5/10 पी0ओ0 एक्ट के अंतर्गत दर्ज करवाया गया जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण टोंक द्वारा दिनांक 01.11.1995 को प्रार्थीगण को दोषमुक्त कर दिया था क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा इस न्यायालय द्वारा भी विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होना माना गया है। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया कि नाथू पुत्र बलेदवा द्वारा प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद निर्णय दिनांक 22.12.89 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध नाथू पुत्र बलदेवा द्वारा कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। विवादित भूमि पर संवत् 2015 यानी सन् 1960 से प्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है, जबकि धारा 42 राज0काश्त0अधि0 1955 सन् 1964 में लागू हुआ था, इस कारण उक्त प्रावधान वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2004 एवं तहसीलदार, निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2002 निरस्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2009 (1) डब्ल्यूएलसी सुप्रीम कोर्ट सिविल पेज 524, 2009 डीएनजे सुप्रीम कोर्ट पेज 132, 2013 आरबीजे हाईकोर्ट पेज 175, 2013 आरबीजे हाईकोर्ट पेज 118 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1457/2004/टोंक** **जयकिशन व अन्य बनाम धूली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् आदेश है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। पुरानी जमाबंदी व वर्तमान जमाबंदी संवत् 2007 से 59 में भी उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है जिनकी भूमि पर सवर्ण जाति के प्रार्थीगण ने वर्षों से कब्जा किया हुआ है। विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की हो इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तथा संवत् 2015 की जो लिखावट प्रस्तुत की है उसकी कोई सत्यता नहीं है। आगे कथन किया कि राज0काश्त0अधि0 की धारा 183–बी के अंतर्गत अधी0न्याया0 द्वारा निर्णित प्रकरण रेस ज्यूडिकेटा में नहीं आता है। रेस ज्यूडीकेटा तभी प्रमाणित होता है जब प्रकरण का निर्णय मेरिट के आधार पर किया गया हो। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें। हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183–बी राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदनकर्ता/अप्रार्थीगण की वादग्रस्त खातेदारी भूमियों पर प्रार्थीगण जगदीश पुत्र श्योराज, रामसुख पुत्र करणा, जयकिशन पुत्र भंवरिया गूजर, निवासी हरिपुरा तहसील निवाई ने जबरन कब्जा कर लिया है । आवेदक/अप्रार्थीगण खटीक जाति के सदस्य है । अतः आवेदन को उसकी खातेदारी की भूमि पुनः दिलवाई जावे । मुख्यमंत्री सचिवालय राज0 सरकार जयपुर से उक्त पत्रांत दिनांक 22.11.2001 द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक को प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर टोंक ने उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार, निवाई को प्रेषित किया । उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार, निवाई ने विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में विवादित आराजी खसरा नंबर 3196, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205 कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 6 वाके ग्राम झिलाय नानगा पुत्र नाथू, घीसी पुत्री नाथू खटीक के नाम रिकार्डे में दर्ज होना अंकित किया । भूमि पर मौके पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1457/2004/टोंक** **जयकिशन व अन्य बनाम धूली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जयकिशन पुत्र भंवरलाल, जगदीश पुत्र श्योराम व पॉचू पुत्र छोटू हिस्सा 1/3, रामसुख पुत्र करणा जाति गूजर हिस्सा 1/3 निवासी हरिपुरा का कब्जा होना अंकित किया है । कब्जाधारी ने उक्त भूमि खातेदार नानगा के पिता नाथू खटीक के समय से ही बेचान करना बताया है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के खातेदार अप्रार्थीगण है जो जाति खटीक होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है जिनकी खातेदारी भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है जो कि गैर अनुसूचित जाति के सदस्य है । अप्रार्थीगण जो कि अनुसूचितज जाति के सदस्य है, उनकी भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के सदस्य प्रार्थीगण का कब्जा विधिनुसार अवैध है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी के तहत बेदखल किये जाने योग्य है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर तहसीलदार, निवाई ने दिनांक 07.06.2002 को प्रार्थीगण को वर्तमान अप्रार्थीगण जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, की खातेदारी आराजियात से बेदखल करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से प्रस्तुत प्रकरण पर तत्समान रूप से चस्पा नहीं होते है । परिणामत् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2004 एवं तहसीलदार, निवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2002 यथावत् रखे जाते है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	